संख्या:15/2173जेएल/22-3-14-100(53)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 08 सितम्बर, 2014***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी सुशील पुत्र महेश मिश्रा, निवासी जनपद-मैनपुरी को केन्द्रीय कारागार, आगरा स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-22774/सामा-1(3)/फतेहगढ़ मं0/2011, दिनांक 13-08-2014 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 अपर सिविल जज(अ0व) कोर्ट संख्या-1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अनापत्ति दिनांक 27-06-2014 के आलोक में, उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-29(1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी सुशील पुत्र महेश मिश्रा, निवासी जनपद-मैनपुरी को उपचार हेतु केन्द्रीय कारागार, आगरा स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:15/2173जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद/आगरा।
2. पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़/आगरा।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in